

ई मेल

राजस्थान सरकार  
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

डब्ल्यू-6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर, फोन नं. 0291-2430440, 2636572 ई मेल bter.jodhpur@gmail.com

क्रमांक :- एफ 5 (101) प्राशिमं/सामान्य/2018-19/ 2023

दिनांक 15 MAR 2018

प्रधानाचार्य,  
समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,  
द्वारा ई मेल।

विषय:- सत्र 2018-19 के लिये मण्डल से संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2018-19 के लिये मण्डल से संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण हेतु संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र (Forwarding Letter) के साथ पूर्ण एवं स्पष्ट भरे हुए परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-2, परिशिष्ट-3, परिशिष्ट-4 आवश्यक रूप से संलग्न कर, मण्डल कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। परिशिष्ट-1 के क्रम संख्या 4 एवं 5 की पूर्ति आवश्यक रूप से की जावे तथा आवश्यक प्रतियां भी संलग्न की जावे।

(कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र की जांच कर आवेदन पत्र में पाई गई कमियाँ उसी दिन बतला दी जायेगी।)

1. निर्धारित संबद्धता शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/चालान।

( डिमाण्ड ड्राफ्ट, अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर (Chairman, Board of Technical Education, Rajasthan, Jodhpur) के नाम का होना चाहिये व डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे संस्थान कोड एवं संस्थान का नाम आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिये। राजकीय संस्थान संबद्धता शुल्क की राशि चालान से जमा करवाकर चालान की एक मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित करावें।)

संबद्धता शुल्क रूपये 5000/- प्रति पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष है। यह शुल्क निम्न के लिए भी जमा करवाना होगा :-

(1) ऐसे बंद कर दिये गये पाठ्यक्रम जिनमें एक भी छात्र नियमित अथवा बाह्य परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे रहा है।

(2) ऐसे पाठ्यक्रम जिनको AICTE की Approval Process handbook 2018-19 के प्रावधानों के अनुसार बंद नहीं करवाया गया है।

एक मुश्त एक बार पंजीकरण शुल्क (नवीन संस्था के लिए) रूपये 25000/- है।

2. सत्र 2018-19 के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमति पत्र (Letter of Approval)/अनुमोदन विस्तार पत्र (Extention of Approval) की प्रति।


(2)

3. अन्य :- 1. जिन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है वो महाविद्यालय प्रकरण की वर्तमान स्थिति बतलाते हुए संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें।
2. जिन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों पर AICTE/ राज्य सरकार आदि द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही चल रही है तो वर्तमान स्थिति बतलाते हुए संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें।
- आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज निम्न तिथियों के अनुसार प्राप्त किये जायेंगे :-

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 1. दिनांक 16.04.18 सोमवार   | - | जयपुर संभाग के जयपुर जिले की समस्त संस्थाएँ।          |
| 2. दिनांक 17.04.18 मंगलवार  | - | जयपुर संभाग की समस्त संस्थाएँ (जयपुर जिले को छोड़कर)। |
| 3. दिनांक 18.04.18 बुधवार   | - | कोटा संभाग की समस्त संस्थाएँ।                         |
| 4. दिनांक 19.04.18 गुरुवार  | - | भरतपुर संभाग की समस्त संस्थाएँ।                       |
| 5. दिनांक 20.04.18 शुक्रवार | - | उदयपुर संभाग की समस्त संस्थाएँ।                       |
| 6. दिनांक 23.04.18 सोमवार   | - | बीकानेर संभाग की समस्त संस्थाएँ।                      |
| 7. दिनांक 24.04.18 मंगलवार  | - | अजमेर संभाग की समस्त संस्थाएँ।                        |
| 8. दिनांक 25.04.18 बुधवार   | - | जोधपुर संभाग की समस्त संस्थाएँ।                       |

नोट :

1. संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण आवेदन प्रपत्र परिशिष्ट 01 से 04 मण्डल की वेब साईट [www.techedu.rajasthan.gov.in](http://www.techedu.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
2. आवेदन पत्र (Forwarding Letter) के ऊपर दाहिने कोने पर संस्थान कोड आवश्यक रूप से अंकित करें।
3. समस्त परिशिष्टों की पूर्ति AICTE के अनुमति पत्र (Letter of Approval)/अनुमोदन विस्तार पत्र (Extention of Approval) के अनुसार करें।
4. प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी भी पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता प्रदान नहीं की जायेगी और न ही परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा।
5. संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ सत्र 2017-18 में मण्डल द्वारा दी गई संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण के आदेश की छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करावें।

भवदीय  
  
14/3/18  
संयुक्त निदेशक एवं सचिव

क्रमांक :- एफ 5 (101) प्राशिम/सामान्य/2018-19/

प्रतिलिपि :- निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त निदेशक (ई-2), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
2. नोडल अधिकारी (IT), को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करवाने हेतु।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव